न्यायालय अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़।

पीठासीन अधिकारी :– **अशोक असीजा आर.ए.एस.**

प्रकरण संख्याः 65/2021

राजस्थान राज्य जरिये प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय हनुमानगढ़।

प्रार्थी

बनाम

मंगलाराम पुत्र रामेश्वरलाल निवासी कल्याणपुरा तहसील सरदारशहर जिला चुरू

अप्रार्थी

मुकदमा अर्न्तगत धारा 6 ए ई0सी एक्ट

उपस्थितः– 1 श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अधिवक्ता।
2 श्री देवदत भीडासरा अप्रार्थी अधिवक्ता।

–:निर्णयः–

दिनांकः– 14.07.2021

राजस्थान राज्य जरिये प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ द्वारा यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया। जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 23.06.2021 को जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ हमराह कार्यालय स्टाफ के साथ पेट्रोल–डीजल की अवैध तस्करी, भण्डारण एवं परिवहन की रोकथाम विरूद्ध अभियान के तहत बरवाली नोहर रोड़ पर पिकअप नं0 RJ-10-GB-4337 को रूकवाकर वाहन की तलाशी ली गई। मौके पर उपस्थित गवाहों के समक्ष तलाशी के दौरान 1900 लीटर डीजल मय 8 प्लास्टिक ड्रम व 2 प्लास्टिक कैनी मिली। वाहन चालक ने स्वंय का नाम मंगलाराम पुत्र रामेश्वरलाल उम्र 50 वर्ष जाति जाट निवासी कल्याणपुरा तहसील सरदारशहर जिला चुरू का होना बताया। मुताबिक मंगलाराम उक्त पिकअप में भरा समस्त डीजल हरियाणा स्थित पेट्राल पम्प से खरीद किया गया है एवं डीजल के उपयोग एवं परिवहन के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं दिया एवं न ही कोई वैध दस्तावेज लाईसेंस, परमिट आदि होना बताया। मौके पर पाये गये 1900 लीटर डीजल मय 8 प्लास्टिक ड्रम व 2 प्लास्टिक कैनी के संबंध में कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने एवं अवैध भण्डारण एवं कारोबार स्पष्ट होने के कारण 1900 लीटर डीजल मय 8 प्लास्टिक ड्रम व 2 प्लास्टिक कैनी तथा पिकअप नं0 RJ-10-GB-4337 को मौके पर ही जब्त कर लिया गया। जब्त की गई उक्त सामग्री श्री धनजय पुत्र श्री देवकरण उम्र 25 वर्ष जाति जाट पेशा पेट्रोल पम्प संचालक चौ. भवंर लाल बेनीवाल सेवा केन्द्र परलीका तहसील नोहर को सुपुर्दगी में दिया गया। इस प्रकार मंगलाराम पुत्र रामेश्वरलाल उम्र 50 वर्ष जाति जाट निवासी कल्याणपुरा तहसील सरदारशहर जिला चुरू द्वारा मोटर स्प्रिट और उच्चवेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के खण्ड 4 का उल्लंघन किया गया है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र अंतर्गत 6ए प्रस्तुत कर राज्य जरिये प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय हनुमानगढ़ द्वारा निवेदन किया गया कि जब्त पिकअप नं0 RJ-10-GB-4337 मय 1900 लीटर डीजल मय 8 प्लास्टिक ड्रम व 2 प्लास्टिक कैनी को राजसात करने के आदेश फरमावे।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6बी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया। जब्तशुदा डीजल को ज्वलनशील पदार्थ होने से जानमाल की हानि की संभावना को ध्यान में रखते हुए जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ को अन्तरिम निस्तारण कर उक्त राशि राजकोष में जमा करवाये जाने के आदेश दिनांक 28.06.2021 को दिये जा चुके है।

ला मजिस्ट्रेट
नुमानगढ़

अप्रार्थी द्वारा जरिये अभिभाषक जवाब नोटिस प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम पेश किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया कि अप्रार्थी वाहन पिकअप नं0 RJ-10-GB-4337 लेकर राम प्रकाश बांसल एंड संस, नोहर रोड, जमाल (सिरसा) से 8 ड्रमो व 2 प्लास्टिक कैनी में अलग–अलग 1900 लीटर डीजल लेकर आ रहा था। जिसके बिलों की प्रति उसी समय जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को अप्रार्थी ने दिखा दिये थे एवं उक्त डीजल अपने घरेलु उपयोग हेतु ले जाना बता दिया था। 1900 लीटर डीजल परिवहन करने हेतु राजस्थान राज्य एवं भारत वर्ष मे आपराधिक कृत्य नही है, ना ही इस हेतु किसी लाईसेन्स अथवा परमिट की आवश्यकता है। भारत सरकार द्वारा 2500 लीटर डीजल परिवहन करने की छूट दी गई है। हरियाणा राज्य में डीजल का मूल्य कम होने के कारण हम कृषक पेशा लोग मिल कर अपने ट्रेक्टरो एवं इंजन हेतु डीजल लाते है जिसका बिल मौका पर ही जिला रसद अधिकारी को दिखा दिया था एवं समस्त तथ्यों से अवगत करवा दिया था कि 1900 लीटर डीजल अपने घर अथवा कृषि भूमि पर लेकर जाना कोई अपराध नही है। उसके बावजूद भी जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ ने कार्यवाही की है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध स्टेट की ओरस से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज कर अप्रार्थी की जब्त पिकअप नं0 RJ-10-GB-4337 मय 1900 लीटर डीजल मय 8 प्लास्टिक ड्रम व 2 प्लास्टिक कैनी को वापस लौटाये जाकर जब्ती की कार्यवाही निरस्त करने का निवेदन किया है।

बहस सुनी गयी। राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया है कि जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ द्वारा जब्तशुदा डीजल को ड्रम के साथ जब्त किया गया है। अप्रार्थी द्वारा बिना लाईसेंस व परमिट के अवैध डीजल तेल रखना व परिवहन करना राजस्थान आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है। इसलिए जब्तशुदा डीजल मय वाहन राजसात किया जावे।

अप्रार्थी ने जवाब प्रा0पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी उक्त 1900 लीटर डीजल घरेलु उपयोग हेतु लेकर आ रहा था। जिसके बिलों की प्रति उसी समय जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को दिखा दी थी। हरियाणा राज्य में डीजल का मूल्य कम होनें के कारण हम कृषक पेशा लोग मिल कर अपने ट्रेक्टरो एवं इंजन हेतु डीजल लाते है। भारत सरकार द्वारा 2500 लीटर डीजल परिवहन करने की छूट दी गई है। 1900 लीटर डीजल परिवहन करने हेतु राजस्थान राज्य एवं भारत वर्ष मे आपराधिक कृत्य नही है, ना ही इस हेतु किसी लाईसेन्स अथवा परमिट की आवश्यकता है। अप्रार्थी ने किसी भी नियम अथवा कानून का उल्लंघन नहीं किया है। अतः जब्तशुदा वाहन मय डीजल अप्रार्थी को लौटाया जावे व प्रार्थी (अप्रार्थी सं0 01) के विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप फरमाई जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। रिकार्ड के अनुसार अप्रार्थी द्वारा उक्त डीजल की जब्ती के दौरान कोई वैध दस्तावेज प्रवर्तन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। ना ही तलाशी के दौरान यह सिद्ध किया कि उसके पास खुद की कितनी कृषि भूमि है, जिसके लिए उसे लगातार डीजल का परिवहन करना पड़ रहा है। अप्रार्थी ने तलाशी के वक्त कोई वाहनों के स्वामित्व के दस्तावेजों एवं कृषि भूमि के दस्तावेज यथा जमाबंदी आदि प्रस्तुत नहीं किये। अप्रार्थी द्वारा न्यायालय के जवाब प्रस्तुत करते समय कुछ दस्तावेज प्रस्तुत किये है, लेकिन उक्त दस्तावेजों मात्र से अप्रार्थी का निजी उपयोग हेतु परिवहन किये जाने का तर्क साबित नहीं होता है। यह पश्चातवर्ती (After thought) तर्क है। पत्रावली के संपूर्ण अवलोकन से अप्रार्थी का उक्त कृत्य 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है, जिसके लिए अप्रार्थी दोषी है।

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

अतः प्रार्थी राज्य जरिये प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय हनुमानगढ का प्रार्थना पत्र अंतर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर 1900 लीटर डीजल मय 8 प्लास्टिक ड्रम व 2 प्लास्टिक कैनी को इस न्यायालय द्वारा जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को अन्तरिम निस्तारण कर उक्त राशि राजकोष में जमा करवाये जाने के आदेश दिनांक 28.06.2021 को दिये जा चुके हैं, को राज्य के पक्ष में राजसात (Confiscate) किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को निर्देशित किया जाता है कि निस्तारण से प्राप्त राशि को राज्य के राजकोष में जमा कर चालान नम्बर व दिनांक सहित पालना रिपोर्ट 15 दिवस में इस न्यायालय को प्रस्तुत करें।

जहां तक जब्तशुदा वाहन पिकअप नं0 RJ-10-GB-4337 का प्रश्न है, वाहन मालिक के विरूद्ध दुबारा पुनरावर्ती नहीं हो कि चेतावनी के साथ केवल मात्र इस न्यायालय में दर्ज उक्त दर्ज धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रकरण में जब्तशुदा वाहन पिकअप नं0 RJ-10-GB-4337 को जब्ती से बागुजार (मुक्त) किया जाता है।

अतः जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को आदेश दिये जाते हैं कि रजिस्टर्ड मालिक द्वारा वाहन के मालिकाना दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पर उक्त जब्तशुदा वाहन पिकअप नं0 RJ-10-GB-4337 के इंजिन नं0 व चैसिस नम्बर, वाहन की पंजीयन कॉपी (आरसी) से मिलान सही पाये जाने पर नियमानुसार वाहन मालिक को सौंप दिया जाये। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.07.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक असीजा)
अपर जिला कलक्टर एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ

अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़